राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना पीठासीन अधिकारी :– पंकज बडगूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
494/2023	21.12.2023	13.07.2024

उनवान

1. हेमन्त पुत्र रंगरावसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना हाल तह0 मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड।

वादी

बनाम

1. श्रीमान साहब तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़।

प्रतिवादी

दावा– दुरूस्ती इन्द्राज एवं हु0इ0 दवामी

उपस्थिति:
1. श्री मुकेश कुमार यादव –वकील वादी।
2. पैरोकार सरकार

–: निर्णय:– दिनांक 13.07.2024

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना मे सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकुलाय उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख.नं. 561/1020/0.07, 605/0.33, 607/0.04, 608/0.13, 610/0.40, 628/0.06, 649/0.66, 661/0.23, 665/0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम भीमसिंहपुरा तह0 नीमराना कोटपूतली–बहरोड़ मे स्थिति होकर आराजी मुतनाजा कहलायेगी। आराजी मुतनाजा वादी के पैतृक एंव दादालाई आराजी है जिसमे वादी के बुजूर्ग आजीवन काबिज रहकर काश्त करते आ रहे थे तथा उनकी फौतगी पर वादी विरासत से प्राप्त उक्त आराजी पर बेरोकटोक काश्त करता आ रहा है। उक्त आराजी वादी के हक मे जरिये विरासत इंतकाल संख्या 183 से आयी है नकल संलग्न है। वादी ग्राम माजरा तह0 नीमराना का रहने वाला है तथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2056 मे खाता संख्या 37 मे साकिन माजरा एंव संवत 2060 के खाता संख्या 26, 27 मे साकिन माजरा ही अंकित है,नकल जमाबंदी संलग्न है। अब दिनांक 01.10.2023 को आराजी मुतनाजा पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण लेने हेतु फाईल बनवाने के लिए पटवारी हल्का के पास गया तो पटवारी हल्का ने मिन वादी का गांव भीमसिंहपुरा यानि साकिन देह खातेदार दर्ज होने बाबत बताया जिस पर राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने पर मिन वादी को पता चला कि जमाबंदी संवत 2064 मे चौसाला की कार्यवाही करते समय विना पूर्व रिकॉर्ड का अवलोकन किये, विना वादी से पूछताछ किये साकिन देह माजरा के स्थान पर साकिन देह खातेदार दर्ज कर दिया जो खिलाफ मौका ,खिलाफ कब्जा एंव खिलाफ पूर्व रिकॉर्ड व दस्तावेजात है, नकले संलग्न है। जिस हेतु तहसीलदार साहब नीमराना के समक्ष सभी दस्तावेजात एंव पूर्व रिकॉर्ड पेश कर मिन वादी का गांव राजस्व रिकॉर्ड मे ठीक कराने का निवेदन किया तो उन्होंने बताया की सक्षम न्यायालय मे दावा दायर कर दुरूस्ती करवाये। मिन वादी का साकिन माजरा के स्थान पर साकिन देह खातेदार दर्ज रहने से मिन वादी के हक व अधिकरों पर वितरीत प्रभाव पड रहा हैं आदि–आदि अंकित करते हुए वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की फरमाई जावे कि उक्त विवादित आराजीयात वाके ग्राम भीमसिंहपुरा तह0 नीमराना के राजस्व रिकॉर्ड मे मिन वादी बाबत अंकित साकिन देह खातेदार के स्थान पर साकिन देह माजरा अंकित किया जावे तथा इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद करवाये जाने का निवेदन रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वाद विधिवत तलवी प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर जवाब सरकार पेश किया। उक्त प्रस्तुत जवाब का सारतः रहा कि जिम्मन नं0 1 सही है,स्वीकार है तथा जिम्मन नं. 2 लगायत 6 व 9 वादी स्वयं सिद्व करे एंव जिम्मन नं. 7, 8, 10, 11 व 12 कानूनन होकर कोर्ट फीस से संबंधित हो कर श्रीमान न्यायालय के श्रवण योग्य है अंकित करते हुए अतिरिक्त उत्तर

अंकित कर पेश किया है। जिसके मुताबिक राजस्व जमावंदी संवत 2073–76 के राजस्व जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 27 मे वादी का नाम हेमन्त पुत्र रंगरावसिंह हिस्स पूर्ण जाति अहीर साकिन देह खातेदार रिकॉर्ड दर्ज है जबकि आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, सरपंच प्रमाण पत्र मे हेमन्त कुमार पुत्र रंगराव ग्राम माजरा दर्ज रिकॉर्ड है अंकित कर जवाब शामिल पत्रावली है।

वादी ने अपने वाद पत्र की ताईद मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2076–79, नकल इंतकाल संख्या 183 वाके ग्राम भीमसिंहपुरा, नकल जमाबंदी संवत 2056, नकल जमाबंदी संवत 2060–63, नकल जमाबंदी संवत 2064–67 एंव ग्राम पंचायत माजरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया उक्त प्रमाण पत्र मे हेमन्त कुमार पुत्र रंगरावसिंह जाति अहीर ग्राम व पोस्ट माजरा तह0 नीमराना का स्थाई निवासी है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है एंव मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र हेमन्त पुत्र रंगराव सिह जाति अहीर निवासी माजरा का पेश होकर शामिल पत्रावली है।

वकुलाय की वादपत्र के बाबत बहस सुनी गई। दोराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र के जिम्मनो को दोहराते हुए वादी द्वारा अपनेवाद पत्र की ताईद मे दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2076–79, नकल इंतकाल संख्या 183 वाके ग्राम भीमसिंहपुरा, नकल जमाबंदी संवत 2056, नकल जमाबंदी संवत 2060–63, नकल जमाबंदी संवत 2064–67 एंव ग्राम पंचायत माजरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया उक्त प्रमाण पत्र मे हेमन्त कुमार पुत्र रंगरावसिंह जाति अहीर ग्राम व पोस्ट माजरा तह0 नीमराना का स्थाई निवासी है अंकित कर पेश होकर शामिल पत्रावली है एंव मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र हेमन्त पुत्र रंगराव सिह जाति अहीर निवासी माजरा का पेश होकर शामिल पत्रावली है तथा प्रस्तुत जवाब पैरोकार सरकार विवादित आराजीयात बाबत जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 27 मे वादी का साकिन देह खातेदार रिकॉर्ड दर्ज होना अवगत कराते हुए आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड, सरपंच प्रमाणपत्र मे वादी का नाम हेमन्त कुमार पुत्र रंगराव ग्राम माजरा दर्ज रिकॉर्ड होना अंकित किया है इसप्रकार से पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब पैरोकार के माध्यम से वाद पत्र को सही होना भूमिगत तरीके से जाहिर किया है का अभिकथन करते हुए वादी द्वारा अपने वाद पत्र को सुसंगत एंव दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पूर्ण रूप से साबित कर दिया है कथन करते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। ठीक इसी प्रकार पैरोकार सरकार ने भी दौराने बहस वादी का गांव साकिन माजरा एंव विवादित आराजीयात वाके ग्राम भीमसिंहपुरा की होने की स्थिति मे वादी के वादपत्र को सही होना स्वीकार किया।

वकुलाय की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एंव पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन करने के बाद उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी ख.नं. 561/1020/0.07, 605/0.33, 607/0.04, 608/0.13, 610/0.40, 628/0.06, 649/0.66, 661/0.23, 665/0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम भीमसिंहपुरा तह0 नीमराना कोटपूतली–बहरोड़ के बाबत के वाद को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एंव उक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के बाबत साकिन देह खातेदार के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एंव साकिन देह खातेदार के स्थान पर साकिन देह माजरा खातेदार अंकित किये जाने के ओदश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन रहेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर मजमेआम मे सुनाया गया।

13/07/2024

(पंकज बड़गूजर)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली—बहरोड़)

[केन्द्]्रीय लोक अदालत मुख्यालय नीमराना

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
494 / 2023	21.12.2023	13.07.2024

उनवान

1. हेमन्त पुत्र रंगरावसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा तह0 नीमराना हाल तह0 मॉढण जिला कोटपूतली—बहरोड।

वादी

बनाम

1. श्रीमान साहब तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली—वहरोड़।

प्रतिवादी

दावा— दुरूस्ती इन्द्राज एवं हु0इ0 दवामी

पर्चा डिक्री

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार यादव अधिवक्ता एवं प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 13.07.2024 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है कि:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी ख.नं. 561/1020/0.07, 605/0.33, 607/0.04, 608/0.13, 610/0.40, 628/0.06, 649/0.66, 661/0.23, 665/0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम भीमसिंहपुरा तह0 नीमराना कोटपूतली—बहरोड़ के बाबत के वाद को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एंव उक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के बाबत साकिन देह खातेदार के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एंव साकिन देह खातेदार के स्थान पर साकिन देह माजरा खातेदार अंकित किये जाने के ओदश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावें।

उभयपक्षकारान खर्चा अपना— अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

13.07.2024

(पंकज बड़गूजर)

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

जिला कोटपूतली—बहरोड़(राज0)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वादी ने सूची के साथ दस्तावेजात एवं शपथ-पत्र हेमन्त पुत्र रंगराव गिर्दे का पेश किया। शा.कि. हो/वकील उक्त पत्रावली का की बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति के बाद वादी डिग्री किया जाता है एवम विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित हुआ हो नम्बर से कम हो। बाद तकमील जमा जिला लेख कक्ष हो। मजरे आम में सुनाया गया।	
	उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	